फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री नानालाल — **विपक्षी : देउबाई**

किस्म मुकदमा – 131 भू.रा. अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 68/23**

जीसीएमएस : 2023/183

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 16.05.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पूर्व पेशी दिनांक पर सुनी गई थी। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू. राजस्व अधिनियम के तहत् पेश कर निवेदन किया कि मौजा डबोक पटवार हल्का डबोक तह. मावली की आराजी नम्बर 2070 रकबा 0.1214 हेक्टेयर जो हम प्रार्थीगण के नाम पर स्वतन्त्र खातेदारी हक से दर्ज है। मौजा डबोक पटवार हल्का डबोक तह. मावली के आाजी नम्बर 2071 रकबा 0.1295 जो विपक्षीगण के नाम पर स्वतन्त्र खातेदारी हक से दर्ज है, खातेदार पार्वती बाई फौत हो चुके है जिनके वारिस विपक्षी संख्या 1 से 4 हैं। उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी संख्या 1 के पिता व प्रार्थी संख्या 2 के दादा चुन्नीलाल पिता जालु एवं विपक्षीगण के पिता उंकार पिता जालु ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की जिसके पूर्व के आराजीयात 1389 थे जिसके वक्त सेटलमेन्ट नये आराजी नम्बर 2070 रकबा 15 बिस्वा, 2071 रकबा 16 बिस्वा बने एवं बंटवाडे में आराजी नम्बर 2070 चुन्नीलाल पिता जालु के हिस्से में आयी एवं आराजी नम्बर 2071 उंकार पिता जालु के हिस्से में आया वक्त तरमीम नक्शें में पैमुद करते समय राज्य सरकार से यह स्पष्ट आदेश था कि खातेदार जिस जगह पर काबिज हो, वहीं पर नक्शें में तरमीम किया जावें परन्तु सेहवन से हम प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज आराजी नम्बर 2070 को नक्शें में गलत तरमीम कर दिया है क्योंकि हम प्रार्थीगण के वर्तमान खातेदारी हक से दर्ज आराजीयात 2070 हम प्रार्थीगण के नाम पर अवश्य दर्ज है परन्तु उक्त नक्शें में उक्त आराजीयात पर कब्जा विपक्षी संख्या 1 से 4 का है जबकि हम प्रार्थीगण का कब्जा शुरू से ही आराजी नम्बर 2071 जो वर्तमान में नक्शें मे तरमीम आराजी भूमि पर लाखो रूपये खर्च कर भूमि को आबादान कर कृषि कर रहा हूं। जबकि आराजी नम्बर 2071 विपक्षी संख्या 1 से 4 व पार्वतीबाई के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है परन्तु उक्त आराजीयात पर कब्जा नहीं है, आराजी नम्बर 2070 रकबा 0.1214 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 2071 रकबा 0.1295 हेक्टेयर हैं। अन्त में निवेदन किया कि वर्तमान नक्शें में तरमीम आराजी नम्बर 2071 है वह विपक्षीगण सं. 1 से 4 के खाते कर व हम प्रार्थीगण की खातेदारी की जमीन आराजी नम्बर 2070 हम प्रार्थीगण के नाम से नक्शें में पैमुद नहीं कर विपक्षी संख्या 1 से 4 के कब्जे उपयोग में हैं। इस प्रकार नक्शे में तरमीम आराजी नम्बर 2070 को आराजी नम्बर 2071 व आराजी नम्बर 2071 को आराजी नम्बर 2070 पर किया जाकर नक्शें में तरमीम का अंकन किया जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 4 द्वारा उपस्थित होकर स्वीकारात्मक जवाब पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। विपक्षी सं. 5 राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट पेश कर मौजा डबोक आराजी नम्बर 2070 व 2071 की भूमि आंवटित नहीं होकर प्रार्थी श्री नानालाल के पिताजी चुन्नीलाल पिता जालु, उंकार पिता जालु एवं चमनलाल पिता उदेराम द्वारा क्रय की गई भूमि जो वक्त सेटलमेन्ट क्रय की गई थी। विक्रय पत्र में वर्णित आराजी नम्बर 1389 थी जिसके वक्त सेटलमेन्ट नये आराजी नम्बर 2070 एवं 2071 बने एवं वक्त खातेदारान के बीच आपसी भाई बंटवाडा से आराजी नम्बर 2070 चुन्नीलाल पिता जालु जी एवं आराजी नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.05.28 16:46:04 IST
Reason: SelfAttested

2071 उंकार पिता जालु के खाते दर्ज हुई। तत्पश्चात् आराजी नम्बर 2070 चुन्नीलाल पिता जालु के वारिसान के नाम दर्ज होकर वर्तमान में प्रार्थी श्री नानालाल पुत्र चुन्नीलाल 1/2 सुरेन्द्रकुमार पुत्र फतहलाल 1/2 के नाम दर्ज है। आराजी नम्बर 2071 उंकार पिता जालु के वारिसान मांगीलाल रामेश्वर उर्फ रमेशचन्द्र, देउबाई, पार्वतीबाई पत्नी उंकार, ललिता पिता उंकार के नाम दर्ज हैं। मौके पर आराजी नम्बर 2070 एवं 2071 की जांच में पाया गया कि आराजी नम्बर 2070 पर कब्जा आराजी नम्बर 2071 के खातेदारान मांगीलाल, रामेश्वर उर्फ रमेशचन्द्र, देउबाई, पार्वतीबाई पत्नी उंकार, ललिता पिता उंकार काबिज है एवं आराजी नम्बर 2071 पर कब्जा आराजी नम्बर 2070 के खातेदारान नानालाल पुत्र चुन्नीलाल एवं सुरेन्द्र कुमार पुत्र फतहलाल काबिज हैं। राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया है कि सेग्रीगेशन के दौरान नक्शे में उक्त आराजीयात की कोई अदला बदली नहीं की गई है एवं जिस प्रकार प्रार्थी के पिताजी चुन्नीलाल एवं अन्य क्रेताओं द्वारा भूमि क्रय की गई एवं वक्त भू–प्रबन्ध विभाग आपसी भाई बंटवाडा अनुसार खाते दर्ज हुई उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड एवं नक्शें में दर्ज हुई है।

अधिवक्ता उभय पक्षकारान व राजपेरोकार की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण सं. 1 से 4 आराजी नम्बर 2070 व 2071 को आपस में अदला बदली करवाना चाह रहे हैं जबकि तहसीलदार मावली द्वारा दस्तावेज पेश कर सेग्रीगेशन से पूर्व लट्ठा शीट का नक्शा एवं वर्तमान नक्शा पेश किया उक्त दोनों नक्शों के अवलोकन से यह कही प्रतीत नहीं होता है कि उक्त आराजीयात की तरमीम एवं राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 से 4 के मौरूस द्वारा क्रय की गई थी। जिसका भाई बंटवाडा किया जाना भू. प्रबन्ध विभाग के खसरा प्ररिशोधन पत्रक में अंकित हैं। भाई बंटवाडे अनुसार ही उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। इस प्रकार उक्त भूमि के सम्बन्ध में राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होना जाहिर नहीं होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

:: आदेश ::

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू. राजस्व अधिनियम का मेन्टेबल नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.05.28 16:46:04 IST
Reason: SelfAttested